न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2023 G.C.M.S. No. 2023/12 दर्ज दिनांक : 12.01.2023

अपीलार्थिगण:

1. एस. अमरचंद उर्फ उत्तमचंद पुत्र शिवराजग, जाति जैन, निवासी सोजत रोड़, तहसील सोजत, जिला पाली हाल 47/32, nammalwar street, sowcarpet, Chennai, G.P. Tamilnadu 600001
2. ए. घीसुलाल पुत्र अन्नाराम, जाति सिरवी, निवासी रामपुरा कलां, तहसील रायपुर जिला पाली हाल No. 6B, Kannan nagar, 2nd nain road, madipakkam, Kancheepuram, Tamilnadu 600091

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. श्री किशन पुत्र हरिराम, उम्र बालिग, जाति गुर्जा, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. गलकाई पत्नि चौथाराम, जाति बावरी
3. नारायणलाल पुत्र चौथाराम, जाति बावरी
4. हापुराम पुत्र छोगाराम, जाति बावरी
5. सोहनलाल पुत्र छोगाराम, जाति बावरी
6. धर्मीचंद रीणवा पुत्र कालुराम जाति जाट
7. दीपाराम पुत्र किशनाराम, जाति जाट
8. रमेशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल, जाति जाट
9. मोरीदेवी पत्नि अचलाराम, जाति बावरी, निवासीगण पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
10. माडीदेवी पत्नि हीराराम, जाति सिरवी, निवासी झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
11. भंवराई पत्नि जसाराम, निवासी राजादण्ड, जैतारण तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
12. राजेशकुमार पुत्र धनराज, जाति जैन, निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
13. प्रेमदेवी पत्नि चंपालाल, जाति कुमावत, निवासी निम्बेडा कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
14. गीतादेवी पत्नि कालुराम जाति कुमावत, निवासी करमावास मालियान, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
15. मृत चुनकी पत्नि सुखा जाति जाट के विधिक वारिसान:–
   15/1 मृत केसाराम पुत्र सुखाराम के विधिक वारिसान:–
   15/1/1 जीताराम पुत्र केसाराम
   15/1/2 कानाराम पुत्र केसाराम
   15/1/3 भीकाराम पुत्र केसाराम, जातिगण जाट, निवासीगण पीपलिया तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
16. बगदाराम पुत्र बालुराम जाति मेघवाल निवासी समोखी, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

17. गंगाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल, निवासी समोखी, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
18. ओगडराम पुत्र मंगलाराम, जाति कुमावत, निवासी समोखी, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
19. मधुबाला पुत्री चंपालाल, जाति छीपा, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
20. लक्ष्मणराम पुत्र हजारीराम, जाति मेघवाल, निवासी समोखी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
21. डुंगाराम पुत्र भूराराम, जाति मेघवाल, निवासी बांसिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
22. मृत अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल खैरादी, जाति खैरादी, निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर के का.मु.–
    22/1 जमीला पत्नि अब्दुल सतार
    22/2 मोइनुदीन पुत्र अब्दुल सतार
    22/3 मुजीबूर रहमान पुत्र अब्दुल सतार, जातिगण खैरादी, निवासीगण मस्जिद के पास, राणावास, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
    22/4 जुबैदा पुत्री अब्दुल सतार पत्नि करीम हुसैन, जाति खैरादी, निवासी प्रताप नगर, जोधपुर।
    22/5 शमीम पुत्री अब्दुल सतार, पत्नि हुसैन साहू, जाति खैरादी, निवासी प्रताप नगर, जोधपुर।
23. दाउद हुसैन पुत्र इब्राहिम खैरादी, जाति खैरादी, निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
24. हितेन्द्र कुमार पुत्र परमानंद, जाति वैष्णव, निवासी गुडीया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
25. कमलसिंह राजपुरोहित पुत्र शिवनाथसिंह राजपुरोहित, जाति राजपुरोहित, निवासी हाल पिपलिया कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
26. मृत सोहनलाल पुत्र मंगलाराम के विधिक वारिसान–
    26/1 सीतादेवी पत्नि सोहनलाल
    26/2 मिथून पुत्र सोहनलाल, जातिगण कुमावत, निवासीगण बेरा भैरूजी की बावड़ी, निमाज, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
    26/3 नाथीदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि पेमाराम जाति कुमावत, निवासी बेरा भण्डारिया अरट, बिलाडा तहसील बिलाडा व जिला जोधपुर।
    26/4 विदीयादेवी पुत्री सोहनलाल, पत्नि ओमप्रकाश, जाति कुमावत, निवासी बेरा ढीमडी गांव बिरोल तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
    26/5 लादूदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि मोतीलाल, जाति कुमावत, निवासी बेरा मानायत गांव कुशालपुरा, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
    26/6 रेखा पुत्री सोहनलाल पत्नि श्रवणलाल, जाति कुमावत, निवासी बेरा काचोड़ा, निमाज, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
27. सुमित्रा पत्नि चिमनलाल जाति कुमावत, निवासी बासनी दधवाडियान, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
28. मांगीलाल पुत्र बुधाराम जाति कुमावत निवासी करमावास मालियान तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

29. गलकाई पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत निवासी करमावास मालियान तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
30. कानाराम पुत्र मंगाराम जाति पटेल निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
31. रमेश पुत्र पुनाराम जाति कुमावत निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
32. बगदाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत निवासी मोहराकलां, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
33. गुरू शिखर सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड कार्यालय सोजत सिटी जरिये निदेशक सत्यदेव पुत्र गंगाविशन जोशी सा. सोजत सिटी दामोदरलाल पुत्र बंशीलाल शर्मा, जवाहर नगर, पाली।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2017 बअनवान श्रीकिशन बनाम गलकाई वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 एवं 21.12.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रति अपील द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 18, 25, 26, 27, 30, 31 एवं 32

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री भागीरथ तेली, श्री कैलाश मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 28.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2017 बअनवान श्रीकिशन बनाम गलकाई वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 एवं 21.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 53–ए व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत गांव पिपलिया कला के खसरा नम्बर 220 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा बाबत् इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त भूमि समस्त पक्षकारान की सहखातेदारी की हैं। जिसका रेकर्डेड खातेदार है, जो वादी की खरीद सुदा है। उक्त खरीदसुदा भूमि अलग से लाल रंग से दर्शित भूमि होना बताते हुए उपरोक्त भूमि पर पूर्व में बेचाणकर्ता का कब्जा काश्त होना बताया। प्रतिवादी संख्या 1 से 34 अपने हिस्से अनुसार काश्त करना और रेकर्ड अनुसार कब्जा होना बताया, जिसे नक्शे में खाली होना बताया। उपरोक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को कई वर्षों से मौके पर आपस में बंटी हुई होना बताया। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने, रेकर्ड में शामलाती होने से आये दिन झगडा फसाद होने के कारण विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया, साथ ही वाद के पद संख्या 4 में मौके अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने की प्रार्थना करना बताया। अंत में विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई। उपरोक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.10.2017 को दर्ज किया गया। आगामी पेशी दिनांक 20.11.2017 को सम्मन तामिल अदम तामिल, अप्राप्त होना दर्ज करते हुए इंतजार पत्रावली नियत रखी, तत्पश्चात पुनः किसी प्रकार के कोई सम्मन पेश नहीं किये गये। सम्मन न तो सामान्य प्रोसेस से, न ही पंजीबद्ध डाक से प्रेषित किये गये। एक बार भी वादी ने सम्मन पेश नहीं किये और सीधे ही दिनांक 27.06.2019 को प्रतिवादीगण की तलबी अखबार में सम्मन प्रकाशित करवाने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अखबार में साया करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात् दिनांक 30.09.2019 को समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और उसी दिन अलग से निर्णय पारित करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलाण्ट्स व अन्य प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया, न ही इस बाबत् सूचना दी गई और वादी से मिलावट कर वादी के मन–माफिक विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया। तहसीलदार महोदय द्वारा न तो मौका देखा गया, न ही मौके पर नाप–चौक किया गया, न ही सीमांकन किया गया, न ही कोई फर्द बनाई गई, न ही इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, कार्यालय में बैठकर ही एक कम्प्यूटराईज बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित कर दिये, जो कि नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध है, साथ ही मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र के विपरीत बंटवाडा प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार कर दिया, जो अवैध एवं एबईनिसियो वोईड है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की हैं। उपरोक्त डिक्रियां पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स व अन्य प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल नहीं करवाये गये, न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। जानबूझकर गलत पते दर्ज किये गये और बिना सम्मन सामान्य प्रोसेस से जारी करवाये सीधे ही अखबार प्रकाशन के माध्यम से तामिल की खाना–पूर्ति कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स व अन्य प्रतिवादीगण के हक, हकूक, हितों पर भारी कुठाराघात किया है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट्स को अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण ऐसे निर्णय से अपीलाण्ट्स के हक, हकूक, अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, न ही ऐसे निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जा सकता है। प्रकरण में उपरोक्त खसरा नं. 220 की भूमि के सम्बन्ध में विभाजन हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद संख्या 107/2011 दिनांक 29.08.2011 को प्रस्तुत किया था, जो दर्ज किया जाकर वर्तमान में भी लम्बित है। प्रमाण में आदेशिका मय वादपत्र की प्रति साथ पेश है। ऐसी स्थिति में पूर्व से उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में विभाजन का वाद लम्बित होने के बावजूद भी उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने दिनांक 18.10.2017 को समान भूमि और समान पक्षकारों के सम्बन्ध में पुनः विभाजन का वाद पेश कर अपीलाण्ट्स को विधिवत तामिल करवाये बिना ही अवैध रूप से प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित करवा दी। जो धारा 10 सीपीसी अनुसार पोषणीय नहीं था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा के सम्बन्ध में उपर के पद में वर्णित अपीलाण्ट द्वारा किये गये वाद के बाद एक ओर वाद संख्या 116/2011 बगदाराम पुत्र पुरका वगैरह द्वारा अपीलाण्ट्स व शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध विभाजन का वाद पेश किया, जिस वाद में भी अपीलाण्ट्स की विधिवत तामिल करवाये बिना ही वाद को निर्णित कर दिया और उपरोक्त वाद में दिनांक 15.12.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई, तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी, इस प्रकार उक्त अपील में वर्णित भूमि के संदर्भ में पूर्व में ही विभाजन की प्राथमिक व अंतिम डिक्री अपीलाधीन निर्णय से पूर्व ही पारित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में पुनः विभाजन का न तो वाद पोषणीय है, न ही इस बाबत पारित अपीलाधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री बहाल रखे जाने योग्य है। उक्त पद में वर्णित वाद में पारित निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट्स को पूर्व में जानकारी नहीं थीं, हाल ही में उक्त अपील प्रस्तुत करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर उपरोक्त वाद संख्या 116/2011 और उसमें पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री की जानकारी हुई है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों पदो में वर्णित वाद एवं पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को छिपाते हुए पश्चात्वर्ती वाद पेश कर पारित किये गये प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है। प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हाल ही में अपीलाण्ट्स के विशिष्ठ हिस्से की खरीद सुदा भूमि, जिसके चारो तरफ तारबंदी की हुई थी, में वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने तोड़फोड़ कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलाण्ट गांव आया और मौके पर जाकर मौका स्थिति देखकर वादी को औलबा दिया, जिस पर उसने अपने पक्ष में विभाजन की डिकी होना बताया, तब अपीलाण्ट ने अन्य और कानूनी कार्यवाही की और साथ ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में पटवारी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अन्य से जानकारी प्राप्त कर नकलों हेतु दिनांक 14.12.2022 को आवेदन पेश किया, जहां से नकले दिनांक 16.12.2022 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार दिनांक 14.12.2022 से पूर्व अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। इसलिए सर्वप्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश है। अपीलाण्ट्स ईमानदारीपूर्वक मुकदमा लड़ना चाहते है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा हेतु वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.03.2021 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया है, तथा दिनांक 09.09.2021 एवं 21.12.2021 को संशोधित आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.01.2023 को प्रस्तुत की गई। जोकि विलंब के साथ प्रस्तुत हुई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट्स व्यवसायिक कार्य से चैन्नई निवास करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मन तामील करवाए बिना तथा सही पते पर सम्मन प्रेषित किये बिना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन से तामील करवाकर अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं रही। वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स की क्रयशुदा भूमि पर तोड़–फोड़ करने पर अपीलांट्स गांव आए तथा मौके देखने पर वादी द्वारा अपीलांट्स को अपने पक्ष में विभाजन की डिक्री होना बताने से जानकारी हुई। दिनांक 14.12.2022 को नकल हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 16.12.2022 को नकल आवेदन प्राप्त हुआ। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 23 व 24 जोकि अपीलांट है, का वादपत्र में पता स्थानीय सोजतरोड़ एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रामपुरा कलां अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को कोई सम्मन प्रेषित नहीं किया तथा आदेशिका दिनांक 27.06.2019 के अंकन अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समाचार-पत्र प्रकाशन से तलबी की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी अखबार प्रकाशन से कराने का आदेश दिया गया। जो दैनिक नवज्योति जोधपुर संस्करण में प्रकाशित किए गए तथा दिनांक 30.09.2019 को अपीलांट्स व दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व दीगर प्रतिवादीगण को कभी भी सही पते पर सम्मन प्रस्तुत नहीं किए गए। समाचार पत्र प्रकाशन से पूर्व अपीलांट्स को पंजीकृत डाक से भी कोई सम्मन प्रेषित नहीं किए गए तथा अपीलांट्स जोकि राजस्थान के बाहर चैन्नई में स्थायी निवासरत है, की तलबी हेतु राजस्थान में स्थानीय रूप से प्रकाशित समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र में पक्षकारान की तलबी हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 में उल्लेखित आज्ञापक विधिक प्रावधानों की अनुपालना नहीं करते हुए तथा अपीलांट्स को सम्यक तामील नहीं करते हुए तथा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी निर्णय दिनांक से अपीलांट्स को जानकारी नहीं हो सकती तथा चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की पीठ के पीछे हुए हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब किसी भी रूप में अपीलांट्स की उदासीनता व लापरवाही के कारण घटित नहीं हुआ है। हमारे विनम्र मत में विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका तथा पूर्व विवेचित बिंदु संख्या 3 के अवलोकन व विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण की सम्यक तलबी हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए तथा प्रतिवादीगण अपीलांट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.07.2025 द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय अपास्त किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री पर आधारित व उसके अनुक्रम में होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री काबिल निरस्त हो जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं विभाजन प्रस्ताव जिसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई हैं, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार नहीं कर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा करवाया जाकर तहसीलदार रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है। जिसकी तहसीलदार रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 16.01.2020 से पुष्टि होती हैं। जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरणों में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा मौके पर तैयार किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण में इसका अनुपालन नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई गौर नहीं किया गया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर केवल वादी के हस्ताक्षर है तथा शेष सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु नोटिस आदि जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट सहित दीगर सहखातेदारान को कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि ऐसा किया जाना तहसीलदार के लिए आज्ञापक है।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2021 को अंतिम डिक्री किया गया तथा दिनांक 09.09.2021 एवं 21.12.2021 को किसी भी पक्षकारान द्वारा प्रार्थना नहीं किये जाने के बावजूद तथा पक्षकारान को सूचित किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब कर पक्षकारान एवं अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित कर दिया गया। जो हमारे विनम्र मत में विधि की दृष्टि में शून्य है।

8. रेस्पोंडेंट संख्या 18, 26 के वारिसान, रेस्पोंडेंट संख्या 25, 27, 30, 31 व 32 द्वारा प्रति अपील प्रस्तुत कर अपील में अंकित तथ्यों व कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में ही वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ही विभाजन बाबत अन्य वाद 107/2012 तथा 116/2011 विचाराधीन है। जिसकी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अधीनस्थ न्यायालय को बखूबी जानकारी होने के बावजूद पूर्ववर्ती तीनों वादपत्र विचाराधीन रहते हुए नवीन वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की तामील करवाए बिना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई हैं। जबकि सीपीसी की धारा 10 के तहत रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद संख्या 107/2012 एवं 116/2011 के निस्तारण तक स्थगित की जानी थीं। जो नहीं की गई। अतः प्रति अपील मंजूर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावें, के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजात के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन के लिए कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए तथा न ही कोई कथन किए हैं। अतः प्रति अपील द्वारा प्रस्तुत उजरात स्वीकार योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट व प्रति अपील बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाना तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रति अपील बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2017 बअनवान श्रीकिशन बनाम गलकाई वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2021 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 एवं 21.12.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों तथा राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल 1956 के संगत आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित समान प्रकृति के विचाराधीन समस्त वादपत्रों को संयोजित करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरुप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.08.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राज(डॉ0 [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner